



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042022-235021  
CG-DL-E-09042022-235021

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]  
No. 275]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2022

**सा.का.नि. 289(अ).**—वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 के अधीन यथापेक्षित वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप नागर विमानन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 679 (अ) तारीख 30 सितंबर 2021 द्वारा जिसे भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों की ओर से, उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति से पूर्व, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को 1 अक्टूबर, 2021 को उपलब्ध कराई गई थीं;

और, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जा चुका है;

इसलिए, अब केंद्रीय सरकार वायुयान अधिनियम 1934 (1934 का 22) की धारा 4, 5 और 10क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (प्रथम संशोधन) नियम, 2022 है।
- ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

## 2. वायुयान नियम, 1937 में, -

(क) नियम 3 में, -

(i) खंड (11) को खंड (10घ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और ऐसे पुनः संख्यांकित खंड (10घ) के पश्चात पर, निम्नलिखित उपबंध खंड अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(11) “मूल उपकरण उड़ान प्रशिक्षक” से ऐसा यंत्र अभिप्रेत है जो उपयुक्त उपकरणों से युक्त है, और जो उपकरण उड़ान स्थितियों में उड़ान में किसी विमान के फ्लाइट डैक वातावरण को उत्प्रेरित करता है;”;

(ii) खंड (21क) को खंड (21कक) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और ऐसे पुनः संख्यांकित खंड (21कक) के पूर्व पर, निम्नलिखित खंड अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(21क) “उड़ान प्रेषक” से उड़ान प्रचालनों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में नियोजित होने के लिए प्रचालक द्वारा अभिहीन व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उड़ान के संरक्षित संचालन के लिए मुख्य पायलट (पायलट-इन-कमांड) को समर्थन देता है, ग्रीफ करता है और सहायता देता है;”;

(iii) खंड (21ग) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(21घ) “उड़ान प्रक्रिया प्रशिक्षक” से एक ऐसा उपकरण अभिप्रेत है जो एक यथार्थवादी उड़ान डेक वातावरण प्रदान करता है, और जो उपकरण प्रतिक्रियाओं, यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक आदि के सरल नियंत्रण कार्य, उड़ान चालक दल के सदस्यों के सामान्य वातावरण और प्रदर्शन और उस प्रकार के विमानों की उड़ान विशेषताओं को अनुकरण करता है;

(21ड.) “उड़ान अनुरूपक” से ऐसा उपकरण है जो एक विशेष विमान प्रकार के उड़ान डेक का सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, जिस सीमा तक यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक आदि, विमान प्रणाली नियंत्रण कार्य, उड़ान चालक दल के सदस्यों के सामान्य वातावरण और प्रदर्शन और उस प्रकार के विमानों की उड़ान विशेषताओं को यथार्थपरक रूप से अनुकरण किया जाता है;

(21च) “उड़ान अनुरूपक प्रशिक्षण उपकरण” से उड़ान अनुरूपक, उड़ान प्रक्रिया प्रशिक्षक या मूल उपकरण उड़ान प्रशिक्षक अभिप्रेत है जिसमें जमीन पर उड़ान की स्थिति का अनुकरण किया जाता है।;”;

(iv) खंड (33ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(33ग) “अनुरक्षण” से कोई विमान, इंजन, प्रोपेलर या संबद्ध भाग पर कार्यों का निष्पादन अभिप्रेत है, जो किसी विमान, इंजन, प्रोपेलर या संबद्ध भाग की निरंतर उड़ान योग्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जिसमें ओवरहाल, निरीक्षण, प्रतिस्थापन, दोष सुधार, और किसी आशोधन या मरम्मत की अभिव्यक्ति भी सम्मिलित है;”;

(v) खंड (48कक) और 48(ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंडों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(48कक) “संरक्षा” से वह स्थिति अभिप्रेत है जिसमें विमान के प्रचालन से संबंधित, अथवा इसके प्रत्यक्ष समर्थन में विमानन गतिविधियों से संबद्ध जोखिम कम हो जाते हैं और एक स्वीकार्य स्तर तक नियंत्रित हो जाते हैं।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनार्थ, पद “स्वीकार्य स्तर” संरक्षा का वह न्यूनतम स्तर है जिसकी वास्तविक व्यवहार में किसी प्रणाली द्वारा आश्वस्त हो;

(48ख) “सुरक्षा डाटा” से विभिन्न विमानन संबंधित स्रोतों से एकत्र किए गए तथ्यों का एक परिभाषित सेट या सुरक्षा मूल्यों का सेट अभिप्रेत है, जिसका उपयोग संरक्षा को अनुरक्षित रखने या इसमें सुधार लाने के लिए किया जाता है;

(48ग) “संरक्षा सूचना” से किसी दिए गए संदर्भ में संसाधित, व्यवस्थित या विश्लेषण किए गए सुरक्षा डाटा अभिप्रेत है जिससे इसे सुरक्षा प्रबंधन उद्देश्यों के लिए उपयोगी बनाया जा सके;

(48घ) “सुरक्षा निगरानी” से किसी राज्य द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निष्पादित किया गया कार्य अभिप्रेत है कि विमानन गतिविधि करने वाले व्यक्ति और संगठन सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय विधियों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।;”

ख) नियम 29(घ) को 29घ के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित नियम 29घ के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित जाएंगे, अर्थात्:—

**“29ड. अनिवार्य संरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली-नागर विमानन महानिदेशालय वास्तविक या संभावित संरक्षा खामियों पर संरक्षा डाटा और संरक्षा सूचना संग्रहीत करने की सुविधा के लिए एक अनिवार्य संरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करेगा और इसके लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा।**

**29च. स्वैच्छिक संरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली.—** (1) नागर विमानन महानिदेशालय वास्तविक या संभावित सुरक्षा खामियों पर संरक्षा डाटा और संरक्षा सूचना संग्रहीत करने की सुविधा के लिए एक स्वैच्छिक संरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करेगा, जिन्हें नियम 29ड. के अधीन स्थापित अनिवार्य संरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन स्थापित स्वैच्छिक संरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली गैर-दंडात्मक होगी और स्वैच्छिक संरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली और संबंधित स्रोतों से प्राप्त संरक्षा डाटा और संरक्षा जानकारी से संरक्षण प्रदान करेगी। यदि केंद्रीय सरकार द्वारा समीचीन समझा जाए, तो संरक्षा डाटा और संरक्षा सूचना किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से एकत्र की जा सकती है।

(3) उप-नियम (1) के अधीन ऐसे एकत्र किए गए संरक्षा डाटा और संरक्षा जानकारी की इस प्रकार संभलाई की जाएगी जिससे संरक्षा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए इसके उपयोग को रोका जा सके, और उचित रूप से सुरक्षित रखा जाएगा और रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।”;

(ग) नियम 30 में, उप-नियम (1क) के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1ख) केंद्रीय सरकार, निर्धारित शुल्क के साथ-साथ आवेदन प्राप्त होने पर, एक वर्ष की अवधि, जिसे एक बार में एक वर्ष और विस्तार दिया जा सकता है, के लिए एक रजिस्ट्री चिह्न आरक्षित कर सकती है।”;

(घ) नियम 35 में,—

(i) उप-नियम (3क) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(3ख) एक रजिस्ट्री चिह्न आरक्षित करने के लिए दस हजार रूपए का शुल्क देय होगा और ऐसे आरक्षण को एक बार में दस हजार रूपए के भुगतान पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(4) शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।”;

(ङ) नियम 38 ख के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

**“38ग. उड्डान प्रेषक अनुमोदन. —** (1) कोई भी प्रचालक महानिदेशक के पूर्वानुमोदन के बिना किसी व्यक्ति को उड्डान प्रेषक के रूप में कार्य नहीं सौंपेगा।

(2) उड्डान प्रेषक का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक प्रचालक निर्धारित शुल्क के साथ महानिदेशक को आवेदन कर सकता है।

(3) महानिदेशक उड्डान प्रेषक के अनुमोदन के लिए अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।

(4) महानिदेशक, इस प्रकार समाधान होने पर कि किसी व्यक्ति ने उड्डान प्रेषक के रूप में कार्य करने के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है, प्रचालक को उड्डान प्रेषक का अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

(5) उप-नियम (4) के अधीन दिया गया अनुमोदन, जब तक इसे निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है, पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध रहेगा, और समाधान होने पर, महानिदेशक इसे एक बार में पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नवीनीकृत कर सकते हैं।

(6) उड्डान प्रेषक के रूप में अनुमोदन के लिए शुल्क पांच हजार रूपए और उड्डान प्रेषक अनुमोदन के नवीकरण के लिए शुल्क मात्र दो हजार पांच सौ रूपए होगा।

(7) शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा”;

(च) नियम 39ग में, उप-नियम (1), सारणी में -

(i) क्रम सं. (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

(ii)	वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (विमान या हेलीकॉप्टर) और उड़ान दिक्चालन का अनुज्ञप्ति	बारह महीने	पांच वर्ष
(iik)	उड़ान रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर का अनुज्ञप्ति	बारह महीने	प्रतिबंधित रेडियो टेलीफोन की वैधता तक

(ii) क्रम सं. (iii) में, स्तंभ (3) में, “पांच वर्ष” शब्दों के स्थान पर “दस वर्षों ” शब्दों को रखा जाएगा।

(छ) नियम 41क में, उप-नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

“(3क) महानिदेशक चेक पायलटों और परीक्षकों के अनुमोदन के लिए अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।

(3ख) उप-नियम (3) के अधीन दिया गया अनुमोदन, जब तक निर्लंबित या रद्द नहीं किया जाता है, पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध रहेगा, और समाधान होने पर, महानिदेशक इसे एक समय में ऐसी अवधि के लिए आगे नवीकृत कर सकते हैं जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3ग) महानिदेशक, उप-नियम (3) के अधीन अनुमोदित चेक पायलटों और परीक्षकों के मानकीकरण जांच के लिए परीक्षकों की नियुक्ति भी कर सकते हैं और उस रीति को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं जिसमें इस प्रकार की जांच की जाएगी।

(ज) नियम 41ख में,-

i. शीर्षक में, “अनुमोदन” शब्द के स्थान पर “उड़ान” शब्द रखा जाएगा;

ii. उप-नियम (4) में, खंड (ग) में,

(क) “दो वर्ष की अवधि” शब्दों के स्थान पर, “पांच वर्ष से अनधिक अवधि” शब्द रखा जाएगा;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iii) उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(5) शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।”;

(झ) नियम 41ख के पश्चात, निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“41ग. उड़ान अनुरूपण प्रशिक्षण उपकरण योग्यता प्रमाणपत्र -

(1) संगठन, उड़ान अनुरूपण प्रशिक्षण उपकरण के योग्यता प्रमाणपत्र हेतु या संविदाकारी राष्ट्र के नागर विमानन प्राधिकरण द्वारा उड़ान अनुरूपण प्रशिक्षण उपकरण के संबंध में जारी योग्यता प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए महानिदेशक को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है।

**स्पष्टीकरण** - इस उप-नियम के प्रयोजन हेतु, संगठन से अभिप्रेत है:

(क) एक ऑपरेटर;

(ख) इन नियमों के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन; या

(ग) उड़ान अनुरूपण प्रशिक्षण उपकरण के संचालन और रखरखाव के लिए संविदाकारी राष्ट्र के नागर विमानन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन।

- (2) महानिदेशक, योग्यता प्रमाणपत्र या उड़ान अनुरूपण प्रशिक्षण उपकरण के सत्यापन की अपेक्षाओं और ऐसे उपकरणों पर प्रशिक्षण के प्रकार को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।
- (3) महानिदेशक, इस बात से समाधान होने पर कि यह सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है, यथास्थिति, योग्यता प्रमाणपत्र जारी कर सकता है या अन्यत्र जारी किए गए उड़ान अनुरूपण प्रशिक्षण उपकरण के योग्यता प्रमाणपत्र को मान्य कर सकता है।
- (4) कोई भी एयरलाइन प्रचालक, अपने कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए ऐसे योग्य या मान्य उड़ान अनुरूपण प्रशिक्षण उपकरण का उपयोग उनके द्वारा विनिर्दिष्ट रूप और रीति से महानिदेशक द्वारा लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं करेगा।
- (5) यदि महानिदेशक का इस बात का समाधान होता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो उसे सुनवाई का अवसर देने और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे प्रमाण पत्र या मान्यता को निलंबित या रद्द कर सकता है।
- (6) उप-नियम (3) के अधीन प्रदान किया गया योग्यता प्रमाणपत्र या मान्यता, जब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है, तब तक दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध रहेगा, और समाधान होने पर, महानिदेशक इसे आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत कर सकते हैं जो एक बार में दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा।
- (7) 5700 किलोग्राम से अधिक के अधिकतम अनुमेय टेक-ऑफ भार वाले विमान प्रकार के लिए योग्यता प्रमाणपत्र या उड़ान अनुरूपण प्रशिक्षण उपकरण के सत्यापन के लिए शुल्क केवल दो लाख रुपए होगा और यथास्थिति ऐसे प्रमाणपत्र या सत्यापन के नवीकरण के लिए शुल्क एक लाख रुपए ही होगी,
- (8) 5700 किलोग्राम तक अधिकतम अनुमेय टेक-ऑफ भार वाले विमान प्रकार के लिए योग्यता प्रमाण पत्र या उड़ान अनुरूपण प्रशिक्षण उपकरण के सत्यापन के लिए शुल्क केवल एक लाख रुपए होगा और यथास्थिति ऐसे प्रमाण पत्र या सत्यापन के नवीनीकरण के लिए, फीस पचास हजार रुपए ही होगी।
- (9) दो लाख पचास हजार रुपये की अतिरिक्त राशि या प्रति दिन यात्रा की लागत, जो भी अधिक हो, देय होगी यदि उड़ान अनुरूपण प्रशिक्षण के योग्यता प्रमाण पत्र के सत्यापन के जारी या नवीकरण के संबंध में निरीक्षण, लेखापरीक्षा या निगरानी, भारत के बाहर किसी भी स्थान पर की जाती है।
- (10) शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।";

(ज) नियम 48 में, -

- (i) उप-नियम (1) में, क्रम संख्या (ix) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(ix)	जहां परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी	: 2500 रुपए प्रति पेपर
(x)	जहां परीक्षा मांग पर ऑनलाइन ली जाएगी	: 5000 रुपए प्रति पेपर";

(ii) उप-नियम (2) में, आरंभिक भाग के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा किया जाएगा, अर्थात्:-

यथास्थिति, "सभी उड़ान परीक्षकों के लिए, अभ्यर्थी या ऑपरेटर, को विमान या उड़ान अनुरूपण प्रदान करने और इस संबंध में सभी शुल्कों को वहन करने की आवश्यकता होगी, और यदि एक सरकारी परीक्षक को उड़ान परीक्षण या मानकीकरण के दौरान विमान में ले जाया जाता है, तो निम्नलिखित शुल्क केन्द्रीय सरकार को देय होगा, अर्थात्: -";

(iii) उप-नियम (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियमों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2क) चेक पायलटों या परीक्षकों के अनुमोदन या नवीकरण के लिए, निम्नलिखित शुल्क देय होगा, अर्थात्: -

(i) चेक पायलटों या परीक्षकों की अनुमोदन: 10,000/- रुपए

(ii) चेक पायलटों या परीक्षकों का नवीकरण: 5,000/- रुपए

(2कक) सेवा शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा यथानिर्दिष्ट रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।";

(ट) नियम 61 में, -

i. उप नियमों (3), (4) तथा (4क) के स्थान पर निम्न उपनियमों को रखा जाएगा, अर्थातः—

“(3) विमान रखरखाव अभियांत्रिकी अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित श्रेणियों, उप-श्रेणियों, जैसा भी लागू हो उसके अनुसार प्रदान किया जाएगा, अर्थातः —

(क) श्रेणी क, को निम्नलिखित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- (i) ए 1 एडरोप्लेन्स टर्बाइन;
- (ii) ए 2 एडरोप्लेन्स पिस्टन;
- (iii) ए 3 हेलीकॉप्टर्स टर्बाइन;
- (iv) ए 4 हेलीकॉप्टर्स पिस्टन।

(ख) ख1 को निम्नलिखित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

- (i) ख 1.1 एडरोप्लेन्स टर्बाइन;
- (ii) ख 1.2 एडरोप्लेन्स पिस्टन;
- (iii) ख 1.3 हेलीकॉप्टर्स टर्बाइन;
- (iv) ख 1.4 हेलीकॉप्टर्स पिस्टन।

(ग) प्रवर्ग ख 2, सभी वायुयान पर लागू है।

(घ) सभी वायुयान पर लागू प्रवर्ग ख2एल को महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट 'सिस्टम रेटिंग', जारी की जाएगी।

(ङ) प्रवर्ग ख 3, 2000 किलोग्राम के अधिकतम टेक-ऑफ मास और उससे नीचे के पिस्टन-इंजन नान-प्रेसराइज्ड विमानों पर लागू है।

(च) प्रवर्ग ठ को निम्नलिखित उप-प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- (i) ठ1सी: कम्पोजिट सेलप्लेन्स
- (ii) ठ1: सेलप्लेन्स
- (iii) ठ2सी: कम्पोजिट पावर्ड सेलप्लेन्स और कम्पोजिट लाइट एयरक्राफ्ट 1;
- (iv) ठ2: पावर्ड सेलप्लेन्स और लाइट एयरक्राफ्ट 1 एडरोप्लेन्स;
- (v) ठ3एच: हॉट-एयर बलून्स;
- (vi) ठ3जी: गैस बलून्स;
- (vii) ठ4एच: हॉट-एयर एयरशिप्स;
- (viii) ठ4जी: लाइट एयरक्राफ्ट 2 गैस एयरशिप्स; तथा
- (ix) ठ5: लाइट एयरक्राफ्ट 2 के सिवाय अन्य गैस एयरशिप्स।

**टिप्पण:** लाइट एयरक्राफ्ट 1 तथा लाइट एयरक्राफ्ट 2 से अभिप्रेत महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट एक मानवयुक्त वायुयान से है।

(छ) प्रवर्ग, ग विमानों और हेलीकॉप्टरों पर लागू है”;

(4) एक वायुयान रखरखाव अनुज्ञप्ति धारक के पास, इस नियम के उपनियम (12) में अधिकथित प्रमाणन विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए उसकी अनुज्ञप्ति, सुसंगत रेटिंग से समर्थित होना चाहिए:

- (i) ख1, ख2, ख2ठ, ग और ठ प्रवर्ग के लिए संबंधित वायुयान या सिस्टम रेटिंग, महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट होंगी।

- (ii) प्रवर्ग ख3 के लिए, सुगंत रेटिंग '2000 किलोग्राम अधिकतम टेक-ऑफ मास तथा इससे कम के 'पिस्टन-इंजन नान-प्रेसराइज्ड एड्रोप्लेन' होगी।
- (iii) प्रवर्ग क के लिए, कोई रेटिंग समर्थित नहीं होगी।;
- ii. उप नियम (5), खंड (घ) में, उपखंडों (i) तथा (ii) के स्थान पर निम्न उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
- (i) प्रवर्ग क, उप-प्रवर्गों ख1.2, ख1.4 तथा प्रवर्ग ख3 के लिए:
- (क) वायुयान प्रचालन में तीन वर्ष का व्यावहारिक वायुयान रखरखाव अनुभव; या
- (ख) संबंधित सिस्टम रेटिंग को समाहित करते हुए, वायुयान प्रचालन में दो वर्ष का व्यावहारिक रखरखाव अनुभव तथा वायुयान रखरखाव में डिग्री प्राप्त कर ली हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त कर ली हो; या
- (ग) संबंधित सिस्टम रेटिंग को समाहित करते हुए, वायुयान प्रचालन में एक वर्ष का व्यावहारिक रखरखाव अनुभव तथा नियम 133ख के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन द्वारा संचालित आधारभूत विमान रखरखाव प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।
- (ii) उप-प्रवर्गों ख1.1 तथा ख1.3 तथा प्रवर्ग ख2 के लिए:
- (क) वायुयान प्रचालन में पांच वर्षों का व्यावहारिक विमान रखरखाव अनुभव; या
- (ख) संबंधित सिस्टम रेटिंग को समाहित करते हुए, वायुयान प्रचालन में तीन वर्षों का व्यावहारिक रखरखाव अनुभव तथा वायुयान रखरखाव में डिग्री प्राप्त कर ली हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त कर ली हो; या
- (ग) संबंधित सिस्टम रेटिंग को समाहित करते हुए, वायुयान प्रचालन में दो वर्षों का व्यावहारिक रखरखाव अनुभव तथा नियम 133ख के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन द्वारा संचालित आधारभूत वायुयान रखरखाव प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।
- (ii) प्रवर्ग ख2ठ के स्थान पर
- (क) सुसंगत सिस्टम रेटिंग को समाहित करते हुए, वायुयान प्रचालन में तीन वर्षों का व्यावहारिक रखरखाव अनुभव, यदि आवेदक के पास पूर्व का कोई सुसंगत तकनीकी प्रशिक्षण नहीं है तो; या
- (ख) सुसंगत सिस्टम रेटिंग को समाहित करते हुए, वायुयान प्रचालन में दो वर्षों का व्यावहारिक रखरखाव अनुभव तथा वायुयान रखरखाव में डिग्री प्राप्त कर ली हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त कर ली हो; या
- (ग) सुसंगत सिस्टम रेटिंग को समाहित करते हुए, वायुयान प्रचालन में एक वर्ष का व्यावहारिक रखरखाव अनुभव तथा नियम 133ख के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन द्वारा संचालित आधारभूत वायुयान रखरखाव प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।
- (ii) प्रवर्ग ठ के लिए
- (क) सुसंगत उप-प्रवर्ग में रखरखाव कार्यवाहियों के प्रतिनिधि प्रतिधारा को समाहित करने वाले वायुयान के संचालन में दो वर्षों का व्यावहारिक अनुभव; या
- (ख) सुसंगत सिस्टम रेटिंग को समाहित करते हुए, वायुयान प्रचालन में एक वर्ष का व्यावहारिक रखरखाव अनुभव तथा वायुयान रखरखाव में डिग्री प्राप्त कर ली हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त कर ली हो या नियम 133ख के अधीन मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संगठन द्वारा संचालित आधारभूत वायुयान रखरखाव प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो:
- परंतु किसी प्रवर्ग या उप-प्रवर्ग या किसी प्रवर्ग या उप-प्रवर्ग के अंतर्गत या विद्यमान अनुज्ञप्ति हेतु सिस्टम रेटिंग में जोड़ने के लिए, प्रवर्ग, उप-प्रवर्ग या नई सिस्टम रेटिंग से सुसंगत व्यावहारिक रखरखाव अनुभव, महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट होगा:

परंतु यह भी कि नागरिक वायुयान रखरखाव वातावरण में हाल के कम से कम एक वर्ष के पूरक अनुभव के साथ नागरिक वायुयान रखरखाव वातावरण के बाहर सुसंगत प्रवर्ग में अर्जित बारह वर्षों के व्यावहारिक वायुयान रखरखाव अनुभव को उपरोक्तानुसार (i) से (iiख) में अधिकथित अपेक्षाओं के समान माना जाएगा”;

iii. उपनियम (11) में, खंड (क) में, शब्दों “पांच वर्ष”, जहां कहीं भी वे प्रयुक्त हों के स्थान पर शब्द “दस वर्ष” रखे जाएंगे।;

(iv) उपनियम (12) में, —

(क) खंड (ii) में, स्पष्टीकरण (ख) में, शब्दों “प्रवर्ग ख3” शब्द, अक्षर और अंक के स्थान पर “प्रवर्ग ख3 या प्रवर्ग ठ” रखे जाएंगे;

(ख) खंड (iii) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(iiiक) प्रवर्ग ख2ठ अनुज्ञप्ति धारक को सेवा करने हेतु प्रमाणपत्र जारी करने तथा विजली प्रणालियों पर रखरखाव संपादित करने के लिए ख2ठ सहायक कर्मचारी के तौर पर कार्य करने के लिए, विशेष रूप से अनुज्ञप्ति पर समर्थित सिस्टम रेटिंग की सीमा के भीतर वैमानिकी प्रणाली पर किया गया रखरखाव; तथा ‘एयरफ्रेम सिस्टम’ रेटिंग धारण करते समय, ऊर्जा संयंत्र और मैकेनिकल प्रणाली के भीतर इलेक्ट्रिकल और वैमानिकी कार्यों का प्रदर्शन, उनकी सेवाक्षमता साबित करने के लिए केवल सरल परीक्षणों की आवश्यकता होती है।”;

(ग) खंड (iv) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(ivक) प्रवर्ग ठ अनुज्ञप्ति धारक को सेवा के निर्मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने और वायुयान संरचना, विजली संयंत्र और यांत्रिक और विद्युत प्रणालियों पर किए गए रखरखाव के स्थान पर ठ सहायक कर्मचारी के रूप में कार्य करने के लिए; रेडियो, आपातकालीन लोकेटर ट्रांसमीटर (ईएलटी) और ट्रांसपोंडर सिस्टम पर काम करने; और अन्य वैमानिकी प्रणालियों पर सेवाक्षमता साबित करने के लिए सरल परीक्षणों की आवश्यकता होती है।”;

(v) उपनियम (14) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात्—

“(14) पुराने प्रारूप में विधिमाम्य वायुयान रखरखाव इंजीनियर्स अनुज्ञप्ति धारक को, सीमाओं के साथ या बिना और बिना आगे की परीक्षा के, इस नियम के अधीन उपयुक्त श्रेणी में एक वायुयान रखरखाव इंजीनियर्स अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है, जो ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन है जो महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट की जाए।”;

(ठ) नियम में 62, —

(i) उपनियम (1) की, सारणी में, मद (ड.) के अधीन, क्रम संख्यांक (i) तथा उनसे संबन्धित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और क्रम संख्यांक रखी जाएगी, अर्थात्:—

(i)	(क) सामान्य परीक्षा के स्थान पर	500 रु. प्रति प्रश्नपत्र
	(ख) आनलाइन परीक्षा के स्थान पर	1500 रु. प्रति प्रश्नपत्र
	(ग) मांग पर आनलाइन परीक्षा के स्थान पर (ओठओडीई)	3,000 रु. प्रति प्रश्नपत्र

”;

(ii) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) सेवा शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा यथाविधिविनिर्दिष्ट रीति में इलैक्ट्रानिक माध्यम से किया जाएगा।”;

(ड) नियम 84 में, “चौबीस महीनों” शब्द, जहां-कहीं भी वे प्रयुक्त हों, के स्थान पर “पांच वर्ष” शब्द रखा जाएगा;

(ढ) नियम 87 में, उपनियम (3), के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(3) सेवा शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक रीतिमें माध्यम से किया जाएगा।”;

(ण) नियम 133ख में, —

(i) उपनियम (1) में,—



(क) खंड (क) के, उपखंड (ii) में, "तथा किसी वायुयान की सतत उड्डयन योग्यता प्रबंधन" शब्दों के स्थान पर "विमान संघटकों सहित" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में,

(i) "सतत उड्डयन योग्यता प्रबंधन प्रदर्शनी" शब्दों के स्थान पर "संयुक्त उड्डयन योग्यता प्रदर्शनी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "प्रशिक्षण नियम" शब्दों के स्थान पर "प्रशिक्षण नियम और अनुरक्षण प्रशिक्षण संगठन प्रदर्शनी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपनियम (3क) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"परंतु कि अनुसूचित यात्री हवाई परिवहन सेवा से भिन्न अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा में लगे विमान के रखरखाव के लिए उपनियम (3) के अधीन प्रदान किया गया अनुमोदन, जब तक कि निलंबित या रद्द न किया गया हो, महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन करने पर अधिक से अधिक दस वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा तथा संतुष्ट होने पर, महानिदेशक दस वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए अनुमोदन का नवीनीकरण कर सकते हैं।";

(त) नियम 133ग में, —

(i) उपनियम (1) में, "किसी भी निरीक्षण, परीक्षा या परीक्षण आयोजित करने के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपनियम (2क) में, "उपनियम (1) में उल्लिखित निरीक्षण, परीक्षा या परीक्षण" शब्दों के स्थान पर, "अनुदान या नवीनीकरण या अनुमोदन के विस्तार के लिए निरीक्षण, लेखा परीक्षा या निगरानी" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपनियम (2ख) में, -

(क) "निरीक्षण" शब्द के स्थान पर, "यह निरीक्षण" शब्द रखा जाएगा;

(ख) "अनुमोदन" शब्द के स्थान पर, "अनुमोदन या स्वीकृति या नवीनीकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपनियम (4) में, "भुगतान" शब्दों के स्थान पर "इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया गया" शब्द रखे जाएंगे;

(ध) नियम 134(क) में, उपनियम (5) में, -

(i) खंड (ग) के पश्चात, "या" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा

(ii) तथा ऐसे खंड (ग) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"(घ) गैर-अनुसूचित परिचालक परमिट धारक की सुरक्षा मंजूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है,";

(द) नियम 154 में,—

(i) खंड (क) में, "निरीक्षण और प्रमाणीकरण" शब्दों के स्थान पर "वायुयान का निरीक्षण, प्रमाणीकरण तथा उड्डयन योग्यता प्रबंधन" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) में, "परिचालकों" रखरखाव प्रणाली नियम' या 'परिचालक' गुणवत्ता नियंत्रण नियम' विराम चिह्न तथा शब्दों के स्थान पर, "परिचालक' सतत उड्डयन योग्यता प्रबंधन प्रदर्शनी' या 'गुणवत्ता नियम" शब्द रखे जाएंगे;

(ध) नियम 155क में,—

(i) उपनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः—

"(2क) उपनियम (2) के अधीन प्रदान किया गया अनुमोदन, जब तक कि निलंबित या रद्द न किया गया हो, नियम 134 के अधीन जारी किए गए हवाई परिचालक प्रमाणपत्र धारक और अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा में कार्यरत व्यक्ति के मामले में अधिक से अधिक दस वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा तथा संतुष्ट होने पर, महानिदेशक दस वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए अनुमोदन का नवीनीकरण कर सकते हैं।"

(2ख) उपनियम (2) के अधीन प्रदान किया गया अनुमोदन, जब तक कि निलंबित या रद्द न किया गया हो, नियम 134 के अधीन जारी किए गए हवाई परिचालक प्रमाणपत्र और अनुसूचित यात्री हवाई परिवहन सेवा में कार्यरत या नियम

134क के अधीन जारी किए गए गैर-अनुसूचित प्रचालक परमिट-धारक व्यक्ति के मामले में अधिक से अधिक पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा तथा संतुष्ट होने पर, महानिदेशक पाँच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए अनुमोदन का नवीनीकरण कर सकते हैं।

(2ग) उपनियम (2) के अधीन प्रदान किया गया अनुमोदन, जब तक कि निलंबित या रद्द न किया गया हो, नियम 134ख के अधीन जारी किए प्राधिकार-धारक व्यक्ति के मामले में अधिक से अधिक दो वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा तथा संतुष्ट होने पर, महानिदेशक दो वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए अनुमोदन का नवीनीकरण कर सकते हैं।";

(ii) उपनियम (3) में, खंड (ख) में, "नागर विमानन विभाग" शब्दों के स्थान पर "नागर विमानन महानिदेशालय" शब्द रखे जाएंगे;

(न) नियम 155क के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"155ख. शुल्क - (1) नियम 155क के अधीन अनुमोदन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शुल्क देय होगा, निजी स्वामी से भिन्न किसी परिचालन के संबंध में:

(i) नियम 134 के अधीन जारी किया गया अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा के परिचालन के लिए हवाई परिचालक प्रमाणपत्र या नियम 134 के अधीन अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा के प्रचालन के लिए जारी किया गया हवाई परिचालक प्रमाणपत्र-धारक व्यक्ति जो किसी वायुयान की सतत उड़ुयन योग्यता प्रबंधन में सम्मिलित हो: 8 लाख रुपए।

(ii) नियम 134 के अधीन जारी किया गया अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा के परिचालन के लिए हवाई परिचालक प्रमाणपत्र या नियम 134 के अधीन अनुसूचित यात्री हवाई परिवहन सेवा के परिचालन के लिए जारी किया गया हवाई परिचालक प्रमाणपत्र-धारक व्यक्ति जो किसी वायुयान की सतत उड़ुयन योग्यता प्रबंधन में सम्मिलित हो: 4 लाख रुपए।

(iii) नियम 134क के अधीन जारी किया गया गैर-अनुसूचित परिचालक परमिट या नियम 134क के अधीन गैर-अनुसूचित परिचालक परमिट-धारक व्यक्ति जो किसी वायुयान की सतत उड़ुयन योग्यता प्रबंधन में सम्मिलित हो: 2 लाख रुपए।

(iv) नियम 134ख के अधीन जारी किया गया प्राधिकार या नियम 134ख के अधीन प्राधिकार-प्राप्त व्यक्ति जो किसी वायुयान की सतत उड़ुयन योग्यता प्रबंधन में सम्मिलित हो: 2 लाख रुपए।

(2) नियम 155क के अधीन अनुमोदन के दायरे के नवीनीकरण या विस्तार का शुल्क उपनियम (1) के अधीन देय शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।

(3) शुल्क महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान किया जाएगा।";

(प) अनुसूची II में, -

(i) धारा क शीर्षक के अधीन पैरा 8क के उपरांत, निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात् : -

"9. नवीनीकरण - नियम 42 और अनुसूची II के सुसंगत धारा के अधीन अधिकीयत की गई अपेक्षाओं का आवेदक द्वारा अनुपालन करने का संतोषजनक प्रमाण प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति और रेटिंग का नवीनीकरण किया जा सकता है।"

(ii) धारा ट शीर्षक के अधीन, -

(क) पैरा (1) में, उपशीर्षक "अनुज्ञप्ति जारी करने के स्थान पर अपेक्षाएँ" के अधीन, -

(i) खंड (ड) में, उपखंड (iv) में, "जो इससे कम नहीं" शब्दों के स्थान पर, "जो इससे अधिक नहीं" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ज) के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु कि, महानिदेशक, हेलीकॉप्टर के विशिष्ट प्रकार के स्थान पर अनुमोदित फ्लाइट अनुपूरक पर कौशल परीक्षण या उस प्रक्रिया के अंश के संचालन की अनुमति दे सकते हैं।";

(ख) पैरा (6) में, उपशीर्षक "विशेषाधिकार" के अधीन, पहले परंतुक में, "परीक्षक की संतुष्टि के अनुसार पाँच टेक-ऑफ और पाँच अवतरण पैटर्न तथा एक मार्ग निरीक्षण" शब्दों के स्थान पर "दस टेक-ऑफ और दस अवतरण पैटर्न" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) धारा ४ शीर्षक में, -

(क) पैरा (1) में, उपशीर्षक "अनुज्ञमि जारी करने के स्थान पर अपेक्षाएँ" के अधीन, खंड (छ) के अंत के क्रम में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"परंतु कि, महानिदेशक, हेलीकॉप्टर के विशिष्ट प्रकार के स्थान पर अनुमोदित फ्लाइट अनुपूरक पर कौशल परीक्षण या उस प्रक्रिया के अंश के संचालन की अनुमति दे सकते हैं।";

(ख) पैरा (3) में, उपशीर्षक "नवीनीकरण" के अधीन, खंड (घ) में, "अनुज्ञमि" शब्द के स्थान पर, "अनुज्ञमि या महानिदेशक द्वारा नियत अनुमोदित फ्लाइट अनुपूरक" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) पैरा (6) में, उपशीर्षक "विशेषाधिकार" के अधीन, -

(i) पहले परंतुक में, "चेक पायलट" शब्दों के स्थान पर, "परीक्षक, प्रशिक्षक या चेक पायलट" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) पहले परंतुक के पश्चात, निम्न परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"परंतु कि एक पायलट के पास 5700 किलोग्राम से अधिक वजन वाले हेलीकॉप्टरों के पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम 100 घंटे का पूर्व अनुभव होने की स्थिति में, रूट चेक की अपेक्षित संख्या को छह तक कम किया जा सकता है, जिसमें से कम से कम तीन रात तक होगा।";

(iv) धारा (त), -

(क) पैरा (2) में, उपशीर्षक "विधिमाम्यता" के अधीन, खंड (ख) में, "उपकरण रेटिंग उड़ान परीक्षण" शब्दों के स्थान पर, "उपकरण रेटिंग नवीनीकरण जांच" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) पैरा (3) में, उपशीर्षक "नवीनीकरण" के अधीन, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात:-

"(क) परीक्षक/ प्रशिक्षक के साथ या महानिदेशक द्वारा नियत अनुमोदित फ्लाइट अनुपूरक पर हेलीकॉप्टर पर उपकरण रेटिंग नवीनीकरण जांच को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद।

(v) धारा म शीर्षक के अधीन, पैरा 3 का लोप किया जाएगा;

(फ) अनुसूची VIख में, पैरा 2 की, सारणी 2 में, -

(i) क्रम संख्यांक 39 के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

"

"39क.	नियम 38ग के उपनियम (1) का उल्लंघन	नियम 38ग का उपनियम (1)	स्तर 3"
-------	-----------------------------------	------------------------	---------

"

(ii) क्रम संख्यांक 41 के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

"

41क.	नियम 41ग के उपनियम (4) का उल्लंघन	नियम 41ग का उपनियम (4)	स्तर 5"
------	-----------------------------------	------------------------	---------

"

[फ़ा. सं. एवी-11012/1/2021-डीजी]

सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण-** मूल नियम भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्यांक वी-26 तारीख 23 मार्च, 1937 प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 327 (अ) तारीख 13 मई, 2021 द्वारा संशोधित करके भारत के राजपत्र, असाधारण, धारा II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 1 मई, 2021 में प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2022

**G.S.R. 289(E).**—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published as required under section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, number G.S.R. 679 (E), dated the 30<sup>th</sup> September, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 1<sup>st</sup> October, 2021;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the draft rules within the period specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 4, 5 and 10A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely:—

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Aircraft (First Amendment) Rules, 2022.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Aircraft Rules, 1937, —
  - (A) in rule 3, —
    - (i) clause (11) shall be re-numbered as clause (10D) and after clause (10D) as so re-numbered, the following clause shall be inserted, namely :—
 

“(11) “Basic Instrument Flight Trainer” means a device which is equipped with appropriate instruments, and which simulates the flight deck environment of an aircraft in flight in instrument flight conditions;”;
    - (ii) clause (21A) shall be re-numbered as clause (21AA) and before clause (21AA) as so re-numbered, the following clause shall be inserted, namely :—
 

“(21A) “Flight Dispatcher” means a person designated by the operator to engage in the control and supervision of flight operations, who supports, briefs and assists the pilot-in-command in the safe conduct of the flight;”;
    - (iii) after clause (21C), the following clauses shall be inserted, namely:—
 

“(21D) “Flight Procedures Trainers” means a device which provides a realistic flight deck environment, and which simulates instrument responses, simple control functions of mechanical, electrical, electronic and the like, aircraft systems, and the performance and flight characteristics of aircraft of a particular class;

(21E) “Flight Simulator” means a device which provides an accurate representation of the flight deck of a particular aircraft type to the extent that the mechanical, electrical, electronic and the like, aircraft systems control functions, the normal environment of flight crew members, and the performance and flight characteristics of that type of aircraft are realistically simulated;

(21F) “Flight Simulation Training Device” means Flight Simulator, Flight Procedures Trainers or Basic Instrument Flight Trainer in which flight conditions are simulated on the ground;”;
    - (iv) for clause (33C), the following clause shall be substituted, namely:—
 

“(33C) “Maintenance” means the performance of tasks on an aircraft, engine, propeller or associated part required to ensure the continuing airworthiness of an aircraft, engine,

propeller or associated part including any one or combination of overhaul, inspection, replacement, defect rectification, and the embodiment of a modification or repair;”;

- (v) for clauses (48AA) and 48(B), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(48AA) “Safety” means the state in which the risks associated with aviation activities, related to, or in direct support of the operation of aircraft, are reduced and controlled to an acceptable level.

Explanation. – For the purposes of this clause, the expression “acceptable level” is the minimum degree of safety that must be assured by a system in actual practice;

(48B) “Safety Data” means a defined set of facts or set of safety values collected from various aviation related sources, which is used to maintain or improve safety;

(48C) “Safety Information” means safety data processed, organised or analysed in a given context so as to make it useful for safety management purposes;

(48D) “Safety Oversight” means a function performed by a State to ensure that individuals and organisations performing an aviation activity comply with safety related national laws and regulations.”

- (B) rule 29(D) shall be re-numbered as rule 29D and after rule 29D as so re- numbered, the following rules shall be inserted, namely:—

**“29E. Mandatory safety reporting system.**—The Directorate General of Civil Aviation shall establish a mandatory safety reporting system to facilitate collection of safety data and safety information on actual or potential safety deficiencies and specify the procedure for the same.

**29F. Voluntary safety reporting system.**— (1) The Directorate General of Civil Aviation shall establish a voluntary safety reporting system to facilitate collection of safety data and safety information on actual or potential safety deficiencies that may not be captured by the mandatory safety reporting system established under rule 29E.

(2) The voluntary safety reporting system established under sub-rule (1) shall be non-punitive and afford protection to safety data captured by, and safety information derived from, voluntary safety reporting system and related sources and if considered expedient by the Central Government, the safety data and safety information may be collected through any other agency.

(3) The safety data and safety information so collected under sub-rule (1) shall be handled in a manner so as to prevent its use for purposes other than safety, and shall appropriately be safe guarded and the confidentiality about the identity of the person making report shall be maintained.”;

- (C) in rule 30, after sub-rule (1A), the following rule shall be inserted, namely:—

“(1B) The Central Government may, on receipt of application along with the fee provided in sub-rule (3B) of rule 35, reserve a registration mark for a period of one year, which may be further extended for one year at a time.”;

- (D) in rule 35, --

(i) after sub-rule (3A), the following sub-rule shall be inserted, namely:--

“(3B) A fee of rupees ten thousand shall be payable for reserving a registration mark and such reservation may further be extended on payment of ten thousand rupees at a time.”

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(4) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.”;

- (E) after rule 38B, the following rules shall be inserted, namely:—

**“38C. Flight Dispatcher Approval.** — (1) No operator shall assign duties to a person as a flight dispatcher without prior approval of the Director-General.

(2) An operator may apply along with prescribed fee to the Director-General for obtaining approval of flight dispatcher.

(3) The Director General may specify the requirements for approval of Flight Dispatcher.

(4) The Director-General may, on being satisfied that a person has met all the requirements to act as a flight dispatcher, grant an approval of flight dispatcher to operator.

(5) The approval granted under sub-rule (4), unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding five years, and on being satisfied, the Director General may renew it for a further period not exceeding five years at a time.

(6) Fee for approval as flight dispatcher shall be rupees five thousand only and fee for renewal of flight dispatcher approval shall be rupees two thousand five hundred only.

(7) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.”;

(F) in rule 39C, in sub-rule (1), in Table, —

(i) for serial number (ii) and the entries relating thereto, following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

“(ii)	Commercial Pilot’s Licence (aeroplanes or helicopters) and Flight Navigator’s Licence	Twelve months	Five years
(iii)	Flight Radio Telephone Operator’s Licence	Twelve months	up to the validity of Radio Telephone Restricted”;

(ii) in serial number (iii), in column (3), for words “Five years”, the words “ Ten years” shall be substituted;

(G) in rule 41A, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely :—

“(3A) The Director General may specify the requirements for approval of Check Pilots and Examiners.

(3B) The approval granted under sub-rule (3), unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding five years, and on being satisfied, the Director General may renew it for a further period not exceeding five years at a time.

(3C) The Director General may also appoint examiners for standardisation check of Check Pilots and Examiners approved under sub-rule (3) and specify the manner in which such checks shall be carried out.”;

(H) in rule 41B,—

(i) in the heading, for the word “Approved”, the word “Flying” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (4), in clause (c), —

(a) for the words “period of two years”, the words “period not exceeding five years” shall be substituted;

(b) the proviso shall be omitted;

(iii) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(5) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.”;

(I) after rule 41B, the following rule shall be inserted, namely:—

**“41C. Flight Simulation Training Device Qualification Certificate. —**

(1) An organisation may apply along with prescribed fee to the Director-General for a Qualification Certificate of Flight Simulation Training Device or for the validation of a

Qualification Certificate issued by the Civil Aviation Authority of a Contracting State in respect of a Flight Simulation Training Device.

Explanation. — For the purpose of this sub-rule (1), the organisation means:

(a) an Operator;

(b) a Training Organisation approved under these rules; or

(c) a Training Organisation approved by civil aviation authority of a contracting state for operating and maintaining Flight Simulation Training Device.

(2) The Director-General may specify the requirements for Qualification Certificate or validation of Flight Simulation Training Device and the type of trainings which can be imparted on such devices.

(3) The Director-General may on being satisfied that it met all the requirements, issue a Qualification Certificate or validate the Qualification Certificate of Flight Simulation Training Device issued elsewhere, as the case may be.

(4) No airline operator shall use such qualified or validated Flight Simulation Training Device for the training of their personnel without obtaining written permission from the Director-General in the form and manner as specified by him.

(5) If the Director-General is satisfied that there is sufficient ground for doing so, after giving him an opportunity of being heard and reasons to be recorded in writing, may suspend or cancel such certificate or validation, as the case may be.

(6) The Qualification Certificate or validation granted under sub-rule (3), unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding two years, and on being satisfied, the Director General may renew it for a further period not exceeding two years at a time.

(7) Fee for Qualification Certificate or validation of Flight Simulation Training Device for aircraft type having maximum permissible take-off weight more than 5700 kilograms shall be rupees two lakh only and for renewal of such certificate or validation, as the case may be, the fee shall be rupees one lakh only.

(8) Fee for Qualification Certificate or validation of Flight Simulator Training Device for aircraft type having maximum permissible take-off weight up to 5700 Kilograms shall be rupees one lakh only and for renewal of such certificate or validation, as the case may be, the fee shall be rupees fifty thousand only.

(9) An additional amount of two lakh fifty thousand rupees or cost of travel including per diem, whichever is higher, shall be payable if the inspection, audit or surveillance in respect of issue or renewal of validation of Qualification Certificate of a Flight Simulator Training Device is required to be carried out at any place outside of India.

(10) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.”;

(J) in rule 48, —

(i) in sub-rule (1), for serial number (ix) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

“(ix)	Where the examination is conducted online: Rs 2500 per paper
(x)	Where the examination is conducted online on demand : Rs. 5000 per paper”;

(ii) in sub-rule (2), for the opening portion, the following shall be substituted, namely:—

“For all flying tests, the candidate or operator, as the case may be, shall be required to provide the aircraft or flight simulator and bear all charges in this respect, and if a Government Examiner is carried on board during the flying test or standardisation check, the following fee shall be payable to the Central Government, namely: —”;

(iii) for sub-rule (2A), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

“(2A) For Approval or Renewal of Check Pilots or Examiners, the following fee shall be payable, namely: —

(i) Approval of Check Pilots or Examiners: Rs. 10,000/-

(ii) Renewal of Check Pilots or Examiners: Rs. 5,000/-

(2AA) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.”;

(K) in rule 61, —

(i) for sub-rules (3), (4) and (4A), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

“(3) The Aircraft Maintenance Engineer’s licence may be granted in the following categories and sub-categories, as applicable, namely: —

(a) Category A, classified into the following sub-categories: —

(i) A1 Aeroplanes Turbine;

(ii) A2 Aeroplanes Piston;

(iii) A3 Helicopters Turbine;

(iv) A4 Helicopters Piston.

(b) Category B1, classified into the following sub-categories:--

(i) B1.1 Aeroplanes Turbine;

(ii) B1.2 Aeroplanes Piston;

(iii) B1.3 Helicopters Turbine;

(iv) B1.4 Helicopters Piston.

(c) Category B2, applicable to all aircraft.

(d) Category B2L, applicable to all aircraft shall be issued with the ‘system rating’ as specified by the Director General.

(e) Category B3, applicable to piston-engine non-pressurised aeroplanes of 2000 kilogram Maximum Take-off Mass and below.

(f) Category L, classified into the following sub-categories: —

(i) L1C: Composite sailplanes;

(ii) L1: sailplanes;

(iii) L2C: composite powered sailplanes and composite Light Aircraft 1 aeroplanes;

(iv) L2: powered sailplanes and Light Aircraft 1 aeroplanes;

(v) L3H: hot-air balloons;

(vi) L3G: gas balloons;

(vii) L4H: hot-air airships;

(viii) L4G: Light Aircraft 2 gas airships; and

(ix) L5: gas airships other than Light Aircraft 2.

Note: Light Aircraft 1 and Light Aircraft 2 means a manned aircraft as specified by the Director-General.

(g) Category C, applicable to aeroplanes and helicopters.”;



(4) The holder of an aircraft maintenance licence shall have his licence endorsed with the relevant rating for exercising the certification privileges as laid down in sub-rule (12) of this rule:

- (i) For Category B1, B2, B2L, C and L, the relevant aircraft or system ratings shall be as specified by the Director-General.
  - (ii) For Category B3, the relevant rating shall be 'piston-engine non-pressurised aeroplanes of 2000 kilogram Maximum Take-off Mass and below'.
  - (iii) For Category A, no rating shall be endorsed.”;
- (ii) in sub-rule (5), in clause (d), for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

“(i) for Category A, Sub-categories B1.2, B1.4 and Category B3:

- (A) three years of practical aircraft maintenance experience on operating aircraft; or
- (B) two years of practical maintenance experience on operating aircraft, covering the corresponding system rating, and having acquired a Degree in Aircraft Maintenance or Degree in Engineering from a recognised University; or
- (C) one year of practical maintenance experience on operating aircraft, covering the corresponding system rating, and having successfully completed basic aircraft maintenance training conducted by a training organisation approved under rule 133B.

(ii) for Sub-categories B1.1 and B1.3 and Category B2:

- (A) five years of practical aircraft maintenance experience on operating aircraft; or
- (B) three years of practical maintenance experience on operating aircraft, covering the corresponding system rating, and having acquired a Degree in Aircraft Maintenance or Degree in Engineering from a recognised University; or
- (C) two year of practical maintenance experience on operating aircraft, covering the corresponding system rating, and having successfully completed basic aircraft maintenance training conducted by a training organisation approved under rule 133B.

(iia) for Category B2L:

- (A) three years of practical maintenance experience in operating aircraft, covering the corresponding system rating, if the applicant has no previous relevant technical training; or
- (B) two years of practical maintenance experience on operating aircraft, covering the corresponding system rating, and having acquired a Degree in Aircraft Maintenance or Degree in Engineering from a recognised University; or
- (C) one year of practical maintenance experience on operating aircraft, covering the corresponding system rating, and having successfully completed basic aircraft maintenance training conducted by a training organisation approved under rule 133B.

(iib) for Category L:

- (A) two years of practical experience in operating aircraft covering a representative cross section of maintenance activities in the corresponding sub-category; or
- (B) one years of practical maintenance experience on operating aircraft, covering the corresponding system rating, and having acquired a Degree in Aircraft Maintenance or Degree in Engineering from a recognized University or

successfully completed basic aircraft maintenance training conducted by a training organisation approved under rule 133B:

Provided that for the addition of a category or a sub-category or addition within a category or a sub-category or a system rating to an existing licence, the practical maintenance experience relevant to the category, sub-category or new system rating shall be as specified by the Director General:

Provided also that twelve years of practical aircraft maintenance experience acquired outside a civil aircraft maintenance environment in the relevant category supplemented by at least one year of recent experience in civil aircraft maintenance environment, shall be treated as equivalent to the requirements laid down in (i) to (iib) above.”;

- (iii) in sub-rule (11), in clause (a), for words “five years”, occurring at both the places, the words “ten years” shall be substituted.;
- (iv) in sub-rule (12), —
- (a) in clause (ii), in Explanation (b), for word, letter and figure “Category B3”, the words, letters and figure “Category B3 or Category L” shall be substituted;
- (b) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:—
- “(iiia) Category B2L licence holder to issue certificates of release to service and to act as B2L support staff for the maintenance performed on electrical systems; maintenance performed on avionics systems within the limits of the system ratings specifically endorsed on the licence; and when holding the ‘airframe system’ rating, performance of electrical and avionics tasks within power plant and mechanical systems, requiring only simple tests to prove their serviceability.”;
- (c) after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:—
- “(iva) Category L licence holder to issue certificates of release to service and to act as L support staff for maintenance performed on aircraft structure, power plant and mechanical and electrical systems; work on radio, Emergency Locator Transmitters and transponder systems; and work on other avionics systems requiring simple tests to prove their serviceability.”;
- (v) for sub-rule (14), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
- “(14) A person holding a valid Aircraft Maintenance Engineers Licence in the old format may be issued, with or without limitation and without further examination, an Aircraft Maintenance Engineers Licence in the appropriate category under this rule subject to such conditions as may be specified by the Director-General.”;

(L) in rule 62, —

- (i) in sub-rule (1), in the Table, under item (E), for serial number (i) and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“ (i)	(a) for normal examination	Rs. 500 per paper
	(b) for online examination	Rs 1500 per paper
	(c) online on demand examination	Rs. 3,000 per paper”;

- (ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.”;

- (M) in rule 84, for the words “twenty-four months”, occurring at both the places, the words “five years” shall be substituted;
- (N) in rule 87, for sub-rule (3), the following rule shall be substituted, namely:—

“(3) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.”;

(O) in rule 133B, —

(i) in sub-rule (1),—

(a) in clause (a), in sub-clause (ii), for the words “and continuing airworthiness management of an aircraft”, the words “including aircraft components” shall be substituted;

(b) in clause (b), —

(i) for the words “Continuing Airworthiness Management Exposition”, the words “Combined Airworthiness Exposition” shall be substituted;

(ii) for the words “Training Manual”, the words “Training Manual and Maintenance Training Organisation Exposition” shall be substituted;

(ii) after sub-rule (3A), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that an approval granted under sub-rule (3) for the maintenance of aircraft engaged in scheduled air transport service other than scheduled commuter air transport service, unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding ten years on complying the requirements as specified by the Director General and on being satisfied, the Director General may renew the approval for a further period of ten years.”;

(P) in rule 133C, —

(i) in sub-rule (1), the words “for any inspection, examination or test to be conducted” shall be omitted;

(ii) in sub-rule (2A), for the words “inspection, examination or test mentioned in sub-rule (1)”, the words “inspection, audit or surveillance for the grant or renewal or extension of approval” shall be substituted;

(iii) in sub-rule (2B), —

(a) for the word “inspection”, the words “the inspection” shall be substituted;

(b) for the word “approval”, the words “approval or renewal of acceptance” shall be substituted;

(iv) in sub-rule (4), for the word “paid”, the words “paid electronically” shall be substituted;

(Q) in rule 134A, in sub-rule (5), —

(i) in clause (c) after the words “giving wrong Information,” the word “or” shall be inserted.

(ii) after clause (c) as so amended, the following clause shall be inserted, namely:—

“(d) the security clearance of the holder of Non-Scheduled Operator’s Permit has been withdrawn or denied by the Central Government.”;

(R) in rule 154,—

(i) in clause (a), for the words “inspection and certification”, the words “inspection, certification and continuing airworthiness management of an aircraft” shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words “Operators’ Maintenance System Manual’ or ‘Operators’ Quality Control Manual”’, the words “‘Operators’ Continuing Airworthiness Management Exposition’ or ‘Quality Manual’” shall be substituted;

(S) in rule 155A, —

(i) after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

“(2A) The approval granted under sub-rule (2), unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding ten years in case of a person holding an air operator certificate issued under rule 134 and engaged in scheduled air transport service and on being satisfied, the Director General may renew the approval for a further period of ten years.

(2B) The approval granted under sub-rule (2), unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding five years in case of a person holding an air operator certificate issued under rule 134 and engaged in scheduled commuter air transport service or a Non-scheduled Operator’s Permit issued under rule 134A and on being satisfied, the Director General may renew the approval for a further period of five years.

(2C) The approval granted under sub-rule (2), unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding two years in case of a person holding an authorisation issued under rule 134B and on being satisfied, the Director General may renew the approval for a further period of two years.”;

(ii) in sub-rule (3), in clause (b), for the words “Civil Aviation Department”, the words “Directorate General of Civil Aviation” shall be substituted;

(T) after rule 155A, the following rule shall be inserted, namely:—

**“155B. Fee.-** (1) The following fee shall be payable for grant of approval under rule 155A, in respect of an operator other than a private owner:

(i) person holding an air operator certificate to operate scheduled air transport service issued under rule 134 or involved in continuing airworthiness management of an aircraft of a person holding an air operator certificate to operate scheduled air transport service issued under rule 134: Rupees 8 lakh

(ii) person holding an air operator certificate to operate scheduled commuter air transport service issued under rule 134 or involved in continuing airworthiness management of an aircraft of a person holding an air operator certificate to operate scheduled commuter air transport service issued under rule 134: Rupees 4 lakh

(iii) person holding a Non-scheduled Operator’s Permit issued under rule 134A or involved in continuing airworthiness management of an aircraft of a person holding a Non-scheduled Operator’s Permit issued under rule 134A: Rupees 2 lakh

(iv) person holding an authorisation issued under rule 134B or involved in continuing airworthiness management of an aircraft of a person holding an authorisation issued under rule 134B: Rupees 2 lakh

(2) The fee for renewal or extension of scope of approval under rule 155A shall be fifty percent of the fee payable under sub-rule (1).

(3) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.”;

(U) in Schedule II, —

(i) under the heading Section A, after paragraph 8A, the following paragraph shall be inserted, namely:—

**“9. Renewal.** — Licence and rating may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant having complied with requirements as laid down under rule 42 and respective section of schedule II.”;

(ii) under the heading Section K, —

(a) in paragraph 1 under the sub-heading “Requirements for issue of licence”, —

(i) in clause (e), in sub-clause (iv), for the words “which not less than”, the words “which not more than” shall be substituted;

(ii) in clause (h), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that the Director-General may, however, allow Skill Test or part thereof to be carried out on an approved Flight Simulator for the type of helicopter.”;

(b) in paragraph 6 under the sub-heading “Privileges”, in first proviso, for the words “five take-offs and five landing patterns and one route check to the satisfaction of an Examiner”, the words “ten take-offs and ten landing patterns” shall be substituted;

(iii) under the heading Section N, —

(a) in paragraph 1, under the sub-heading “Requirements for issue of licence”, at the end of clause (g), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that the Director-General may, however, allow Skill Test or part thereof to be carried out on an approved Flight Simulator for the type of helicopter.”;

(b) in paragraph 3, under the sub-heading “Renewal”, in clause (d), for the word “licence”, the words “licence or on an approved Flight Simulator allowed by the Director- General,” shall be substituted;

(c) in paragraph 6, under the sub-heading “Privileges”, —

(i) in first proviso, for the words “a Check Pilot”, the words “an Examiner or Instructor or Check Pilot” shall be substituted;

(ii) after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that in case of a pilot having previous experience of at least 100 hours as Pilot-in-Command of helicopters having all-up weight exceeding 5700 kilograms, the required number of route checks may be reduced to six out of which at least three shall be by night.”

(iv) under the heading Section P, —

(a) in paragraph 2, under the sub-heading “Validity”, in clause (b), for the words “instrument rating flying test”, the words “Instrument Rating Renewal Check” shall be substituted;

(b) in paragraph 3 under the sub-heading “Renewal”, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

“(a) having satisfactorily completed the Instrument Rating Renewal Check on the helicopter with an Examiner or Instructor or on an approved Flight Simulator allowed by the Director-General.

(v) under the heading Section Y, paragraph 3 shall be omitted;

(V) in Schedule VIB, in paragraph 2, in Table 2, —

(i) after serial number 39, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

“39A.	Contravention of sub-rule (1) of rule 38C	Sub-rule (1) of rule 38C	Level 3”;
-------	---	--------------------------	-----------

(ii) after serial number 41, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

“41A.	Contravention of sub-rule (4) of rule 41 C	Sub-rule (4) of rule 41C	Level 5”.
-------	--	--------------------------	-----------

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23<sup>rd</sup> March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 327(E), dated the 13<sup>th</sup> May, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 13<sup>th</sup> May, 2021.